102

समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई थी। उसके वावजूद भी श्री मणीन्द्र कुमार यादव पे0 स्व0 विन्देश्वरी प्र0 मंडल सा0 मुरहो थाना+जिला मधेपुरा द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 86/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-2182/1972 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था। अनुज्ञप्तिधारी से पूछे गए कारण पृच्छा का जवाव एवं बायोडाटा में सूचना अद्यतन समय तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारी कारण पृच्छा का जवाव या अपना पक्ष रखने के प्रति उदासीन हैं, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंघन है। पुनः लोक सभा निर्वाचन-2014 के मद्देनजर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 68/श0, दिनांक 03-03-2014 के द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन संबंधित थाना में कराए जाने हेतु दिनांक 14.03.2014 एवं 15.03.2014 निर्धारित करते हुए इसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया। उल्लेखित तिथियों में मधेपुरा थाना पर शस्त्र का भौतिक सत्यापन के उपरान्त अंचल अधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 259-2 दिनांक 18-03-2014 के द्वारा प्रेषित भौतिक सत्यापन कराए गए अनुज्ञप्तिधारियों की सूची में भी इनका नाम अंकित नहीं है। स्पष्ट है कि इन तिथियों में भी इन्होंने अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है। बार-बार मौका दिए जाने के वावजूद भी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाना, अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंघन है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा-17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के नाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-2182/1972 को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री मणीन्द्र कुमार यादव पे0 स्व0 विन्देश्वरी प्र0 मंडल सा0 मुरहो थाना+जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना अनुज्ञप्ति पुस्त (मूल) जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित रायफल मधेपुरा थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री मणीन्द्र कुमार यादव द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

25/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

25/3/14

ज्ञापांक 124 /शस्त्र, दिनांक 26-3-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री मणीन्द्र कुमार यादव पे0 स्व0 विन्देश्वरी प्र0 मंडल सा0 मुरहो थाना+जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

25/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

25/3/14

9c